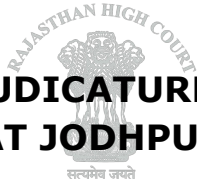


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**



S.B. Civil Writ Petition No. 13294/2026

CNR: RJHC010602852026

URN: CW / 24183U / 2026

Sunita Kumari D/o Data Ram, Aged About 34 Years, R/o Village And Post Bharni Tehsil Sri Madhopur Dist. Sikar Raj. Presently Posted As Nursing Officer At Urban Ayushman Arogya Mandir Nagendra Colony Dungarpur Raj.

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Mission Director National Health Mission And Joint Administration Secretary Medical Health And Family Welfare Dept. Swasth Bhawan Tilak Marg Jaipur Raj.
2. Chief Medical And Health Officer, Dungarpur Raj.
3. M/s Shri Ram Enterprises, Shop No. 01 Ward No. 22 Court Road Dhani Kalyawali Shri Madhopur Dist. Sikar Raj.
4. Krishna Computer Education Society, Shop No. 123 Housing Board Colony Dist. Pratapgarh Raj.
5. Medical Officer, Urban Ayush Arogya Mandir Nagendra Colony Dist. Dungarpur Raj.

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Ripudaman Singhm, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

08/07/2026

अयाची संख्या 04 कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सोसायटी अर्थात् प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से याची की सेवाएं अयाची संख्या 02 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर को प्लेसमेंट एजेंसी व विभाग के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर जी.एन.एम. के पद पर कार्य करने हेतु उपलब्ध करवाई गई थी, जिस पर मार्च 2023 से याची द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया।

इस एजेंसी का चयन वर्ष 2023 तथा अयाची क्रम 02 द्वारा मानव श्रम उपलब्ध करवाने हेतु किया गया था। कालांतर में अयाची क्रम 4 कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सोसायटी से विभाग का अनुबंध समाप्त होने के बाद अन्य प्लेसमेंट एजेंसी अयाची क्रम 3 के माध्यम से याची की सेवाएं अयाची क्रम 02 को उपलब्ध करवाई थी, लेकिन उनके द्वारा आदेश दिनांक 13.05.2026 के माध्यम से याची की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया जिसे इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि याची करीब तीन वर्ष से अयाची क्रम 02 के यहां अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्य योजना अभी भी प्रभाव में है, अतः अयाची क्रम 01, 02 सहित सभी अयाचीगण, याची की सेवाएं निरंतर रखने हेतु बाध्य है और इस संबंध में आदेश जारी किए जाने बाबत यह याचिका प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि याची के स्थान पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान के पत्र दिनांक 16.10.2025 के अनुसार पूर्व में कार्यरत कार्मिकों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है। यह भी निवेदन किया कि विभाग के आदेश दिनांक 06.05.2026 के माध्यम से इस मिशन के तहत सभी गतिविधियों को दिनांक 30.09.2026 तक संचालित किए जाने का आदेश देते हुए नए मानव संसाधनों की नियुक्ति नहीं किए जाने का आदेश दिया गया।

प्लेसमेंट एजेंसी अयाची क्रम 3 व 4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य अथवा राज्य के उपक्रम की परिभाषा में नहीं आता है, अतः उसके विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है।

जहां तक अयाची क्रम 01 से 02 विभाग द्वारा कर्मचारी को निरंतर नियोजित किए जाने का प्रश्न है, अयाची क्रम 01 व 02 द्वारा याची-कर्मचारी को कोई नियुक्ति नहीं दी गई है, यह नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से देते हुए मात्र विभाग को सेवाएं उपलब्ध करवाई गई है। अयाची क्रम 01 व 02 विभाग व याची के बीच क्रमशः नियोक्ता व कर्मचारी के कोई संबंध नहीं

है। याची विभाग का कार्मिक हो, ऐसी स्थिति नहीं है, अतः वह कोई प्राथमिकता का अधिकारी नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णयन State of Harayana and ors. Vs. Piara Sing And ors. [1992]4 SCC 118 के मामले में संविदात्मक नियुक्ति लंबे समय से विभाग के द्वारा निरंतर रखी गई थी तथा प्लेसमेंट एजेंसी की कोई भूमिका नहीं थी। यह न्यायिक निर्णय तथ्यों में भिन्नता के कारण से हस्तगत प्रकरण पर लागु नहीं होता है।

विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा S.B C.W Pitition No. 12054/2025 गोवविंद राम यादव व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2026 प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि प्लेसमेंट एजेंसी से अनुबंध समाप्त होने के बाद राजकीय विभाग का यह दायित्व है कि वह आदर्श नियोक्ता के रूप में योग्य व पात्र कार्मिकों को नियुक्ति हेतु एक उचित प्रक्रिया अपनावे।

जहां तक एक ही बिंदु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय का निर्णय व अभिमत पृथक्-पृथक् हो तो उस स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही आबद्धकर होगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2018) 17 SCC 641, K.K. Suresh & Anr. V/s. Food Corporation of India & Ors. के मामले में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि जहां याची की सेवाएं संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करवाई गई है तो ऐसी स्थिति में याची व विभाग के बीच क्रमशः कर्मचारी अथवा नियोक्ता के संबंध स्थापित नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में याची संबंधित विभाग में निरंतर रूप से सेवाएं दिये जाने के संबंध में कोई आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, उपरोक्त निर्णय का पैरा संख्या 07 सुसंगत है जो निम्नानुसार है:-

"7. In the first place, the appellants failed to adduce any evidence to prove existence of any relationship between them and the FCI; Second, when the documents on record showed that the appellants were appointed by the FCI Head Load Workers Co-Operative Society but not by the FCI then obviously the remedy of the appellants, if at all, in relation to their any service dispute was against the said

Society being their employer but not against the FCI; Third, the FCI was able to prove with the aid of evidence that the appellants were in the employment of the said Society whereas the appellants were not able to prove with the aid of any documents that they were appointed by the FCI and how and on what basis they claimed to be in the employment of the FCI except to make an averment in the writ petitions in that behalf. It was, in our opinion, not sufficient to grant any relief to the appellants."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि अयाची राजकीय विभाग तथा याची के बीच क्रमशः नियोक्ता व कर्मचारी के संबंध नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अयाची विभाग, याची की सेवाएं निरंतर रूप से लेंगे, इस प्रकार का कोई अनुतोष याची प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

परिणामतः यह याचिका खारिज की जाती है। स्थगन आवेदन भी इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J